कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली

O/o the Principal District & Sessions Judge (HQs), Delhi

परिपत्र/Circular

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 (2) में यह उल्लिखित है कि *"प्रत्येक सरकारी स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा।"*/ "Section 20 (2) of the Rights of Persons with Disability Act, 2016 mandates that *"Every Government Establishment shall provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disabilities."*

अत: जिला न्यायालय स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण प्रदान किए जाने के लिए उपर्युक्त विधि के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपरिवर्णित अधिनियम के अधीन शामिल न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारीवृंद सहित सभी हितधारकों से, तीस हजारी कोर्ट परिसर में उनकी विशेष जरूरतों और आवश्यकताओं के संबंध में, सुझाव आमंत्रित करता है। / Therefore, the District Court establishment, in order to provide reasonable accommodation and appropriate barrier free and conducive environment to employees with disabilities, hereby, invites suggestion from all the stakeholders' including Judicial Officers and staff members covered under the above cited Act, with respect to their special needs and requirements in the Tis Hazari Court Complex.

तदनुसार, यह अनुरोध है कि इस परिपत्र के जारी होने के पन्द्रह दिनों के भीतर ईमेल आई.डी. bmccentralthc@gmail.com पर, जैसा कि उपरि- उद्धृत किया गया है, सुझाव दें। / Accordingly, it is requested to provide the suggestion, as cited above, at Email I.D. bmccentralthc@gmail.com, within fifteen days from issuance of this circular.

(अनुज कुमार सिंह / Anuj Kumar Singh)
अध्यक्ष, बी.एम.सी की उप-समिति, तीस हजारी कोर्ट/
Chairperson, Sub-Committee to BMC, Tis Hazari Courts
जेएससीसी-सह-एएससीजे-सह-जीजे (केंद्रीय)/
JSCC-Cum-ASCJ-Cum-CJ (Central)

फा.संख्या/F.No 132/BMC Cell/THC/2022 29628-T - 29632-T दिनांक/Dated 2 2 NOV 2022

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति प्रेषित/Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) दिल्ली के निजी सचिव / PS to Hon'ble Principal District & Sessions Judge (HQs), Delhi.
2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) दिल्ली के निजी सचिव / PS to Hon'ble Principal District & Sessions Judge (West), Delhi.
3. श्री धर्मेंद्र राणा,अध्यक्ष, भवन अनुरक्षण समिति (तीस हजारी न्यायालय परिसर), दिल्ली के पेशकार / Reader to Sh. Darmender Rana, Chairperson, Building Maintenance Committee (Tis Hazari Court Complex), Delhi.
4. संबंधित सहायक, वेबसाइट समिति, तीस हजारी न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि इस परिपत्र को दिल्ली जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें। / The Dealing Assistant, Website Committee, Tis Hazari Courts, with direction to upload this circular on the official website of Delhi District Court.
5. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, तीस हजारी न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि इस परिपत्र को इस स्थापन के सूचना पट्टों पर चस्पा करें। / The R&I Branch, Tis Hazari Courts is directed to paste this circular on the Notice Boards of this establishment.